RAJYA SABHA

Tuesday, the 26th July, 2005/4 Sravana, 1927 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

SUSPENSION OF QUESTION HOUR TO DISCUSS CLASHES BETWEEN POLICE AND WORKERS OF HONDA MOTOR-CYCLES AND SCOOTERS INDIA IN GURGAON

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ.. .(**व्यवधान**)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Sir, we have given a notice ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: मैं उसी पर बोल रहा हूँ ...(**व्यवधान**)... मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैंने अभी क्वैश्चन ऑवर का नाम ही नहीं लिया, आप कैसे खड़े हो गए?

माननीय सदस्यगण, मुझे 13 माननीय सदस्यों का नोटिस मिला है कि क्वैश्चन ऑवर सस्पैंड किया जाए। गुड़गाँव में जिस प्रकार की घटना हुई है, उस घटना के सम्बन्ध में सबने, जो घटनास्थल पर गए हैं या जिनको समाचार-पत्रों से या अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है, उस आधार पर प्रश्न काल स्थगित किया जाए। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे बताएं कि प्रश्नकाल क्यों स्थगित किया जाए?

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): सभापति महोदय, कल की जो घटना हुई है, वह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बहुत शर्मनाक घटना है और भारतीय गणतंत्र के इतिहास पर एक कलंक का टीका है। गुलाम भारत में तो जलियाँवाला बाग़ सुना था, लेकिन कल वह मंजर आंखों से देखा, जो हालात वहाँ पर किए हुए थे।

महोदय, होंडा मोटरसाइकिल की कम्पनी है। वहां के मज़दूर पिछले करीब 6 महीनों से शान्तिपूर्ण आन्दोलन में रत थे। 18 दिसम्बर, 2004 को एक जापानी अधिकारी ने एक भारतीय मज़दूर को जूतों और ठुड्डों से मारकर कारखाने से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर उन्होंने यह आन्दोलन

शुरू किया था। यह अन्दोलन शुरू करने पर वहां के कुछ मज़दूरों को सस्पैंड किया गया, कुछ मज़दूरों को निकाल दिया गया और यह आन्दोलन चल रहा था। फिर मैनेजमेंट ने मज़दूरों को बुला कर कहा कि अगर आप किसी कर्मचारी मज़दूर संघ का सदस्य बनेंगे तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब एक पर्टिकुलर मज़दूर संघ के नेताओं ने वहां जाकर आन्दोलन करने की कोशिश की, तो उनको रोका गया और मज़दूरों को बुलाकर धमकाया गया और उनसे लिखित अंडरटेकिंग ली गई कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनको नौकरी पर वापस नहीं लिया जाएगा या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर यह लिखित अंडरटेकिंग लेने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई।

महोदय, कल करीब 12 बजे मजदूर पूरे शहर में एक जुलूस निकालकर वहां के डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन देना चाहते थे, इस मसले को मद्देनजर रखकर कि इस पर विचार किया जाए। जब मज़दूर यह जुलूस निकाल रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोका, पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हाथापाई की। हाथापाई में, झड़प में भीड़ भड़क गई। कुछ बाहर के लोग और कुछ जुलूस के लोग आपस में उलझ गए। उसके बाद पुलिस ने समझौता कर कहा कि ठीक है, आपको हम पुलिस के घेरे के अन्दर वहां के मिनी सेक्रेटेरिएट अर्थात् डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में ले चलते हैं। वहां जाकर ज्ञापन दे दीजिए। महोदय, इनको पुलिस अपने घेरे में ले गई और वहां मिनी सेक्रेटेरिएट के अन्दर ले गई। जब डिप्टी कमिश्नर और मज़दूरों के नेताओं के बीच करीब एक मीटर का फासला था, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दिया। जो लीडर थे, उनकी तो पिटाई करके उन्हें अलग कर दिया गया और जो मज़दूर थे, उन पर चारों तरफ से लाठियां बरसने लगीं। महोदय, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जिस तरह से घेरकर एक मैदान में उन पर हमला किया था, उस तरह से उनको मिनी सेक्रेटेरिएट के अन्दर, चारों तरफ से घेरकर, उन पर हमला किया गया। यह सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाया गया। लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं। महोदय, इन बेकसूर, बेपनाह और निहत्थे मजदूरों पर जिस तरह से लाठियां बरसायी गयीं, ऐसा लगता था कि शायद इन पुलिस वालों के हाथों में बंदूकें या स्टेनगन होतीं तो उन्हें गोलियां से भून डालते। महोदय, जलियांवाला बाग में तो कुआं था, जिसमें कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां तो कुआं भी नहीं था, यहाँ तो sewerage के गटर थे। उन sewerage के गटर में घुसकर लोगों को मारा गया।

महोदय, मैं और श्री दिनेश त्रिवेदी, दोनों कल वहां गए थे। वहां हमने हॉस्पिटल्स का दौरा किया। मैं रात एक बजे तक वहां पर था, तब तक मजदूरों के परिवार के लोग रो रहे थे, अपनी छाती पीटकर कह रहे थे कि उनके बच्चों का अभी तक पता नहीं है, उनके भाइयों का अभी तक पता नहीं है। Hundreds of people are still missing, either detained in *Thanas* or injured और थानों में जहां 9-10 आदमियों के हवालात में रखने की व्यवस्था है, वहां सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ

आदमी ठूंस-ठूंस कर रखे गए हैं। महोदय, इस तरह का barbaric अत्याचार हरियाणा की पुलिस ने किया है, यह निंदनीय है। यह घोर अपराध है, इस पर दोषियों को सजा होनी चाहिए, कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

महोदय, मेरी आप से मांग थी कि प्रधान मंत्री, जो इस सदन के नेता हैं, वह यहां उपस्थित होते और आज भारतीय गणतंत्र दिवस के इतिहास का जो काला दिवस है, उसको कहानी, उसकी पूरी गाथा सुनते और बताते कि ऑक्सफोर्ड में भाषण देते वक्त जहां वे ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशंसा कर के, good governance की प्रशंसा करके आए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, दूसरा विषय मत लीजिए, दूसरा विषय मत लीजिए। श्री विजय राघवन।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: ये* मजदूरों की आवाज का दमन करना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, आप मजदूरों की आवाज को बुलंदी से रखिए, लेकिन इस matter को मिक्स-अप मत कीजिए। श्री विजय राघवन। ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: यहां से उनको प्रश्रय मिलता है, यहां से उनको ताकत मिलती है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, छोड़िए। श्री विजय राघवन।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, what happened yesterday in Gurgaon is one of the blackest days for this country. The inhuman attack on the poor workers and unarmed workers by the police is a black mark for the democracy of this country. Sir, the Constitution has assured the people to have associations. Here, in this Honda Company, the workers organised an association. Only because of that, in this Honda Company, hundreds of workers have been suspended from the factory. Very peaceful agitations, were going on. What happened inside the Company? What prompted this inhuman behaviour by these Japanese people and management? They manhandled workers. They put workers inside ladies' toilets. What kind of an inhuman attitude? Then, they protested. They were protesting and they were on their way to giving representation. Keeping these people outside, the police encircled them and beat them. This is an inhuman behaviour. Will we permit this thing? What kind of authority they have to behave with workers like this? Have you seen it on the television, a number of workers were encircled by the police and beat them like mad dogs?

*Expunged as ordered by the Chair.

What kind of behaviour is this? Can we agree to such kind of behaviour? ...(*Interruptions*)... This country needs an assurance from the Government that this kind of thing would not be repeated in this country. What kind of globalisation is going on in this country? Will you permit the multinational companies to come and beat the poor people and poor workers in this country? And your police force, all over the country, would protect their right. Who will go on and protect the rights of the people and workers in this country? Can we agree to this kind of a thing? Yesterday, the hon. Chairperson of the UPA herself expressed anguish over this thing. So, no one in this country is supporting the behaviour of the police. That is my feeling. This House is unanimous on that. So naturally, Sir, this Government owes an explanation to this country that such things will not be repeated in this country. Naturally, I want an assurance from this Government; and I hope the Prime Minister will come to this House and give an assurance that this kind of thing will not be repeated in future in this country. This should not happen in future. Strict action should be taken against the police personnel. Nothing was reported in the newspapers. Neither has any police personnel been suspended nor any action has been taken against them. What kind of message are they giving to this nation? Such police personnel should not continue in the police department. That assurance should also be given. There should be a judicial inquiry into the whole incident and those who are responsible, should be suspended, and action should be taken against them. The Government owes an explanation to the people of this country. I would request the Prime Minister to come to this august House and give an assurance that such things will not happen in future. Thank you.

श्री सभापति: श्री जनेवर मिश्र।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): सर, क्या मैं बैठकर बोल सकता हूँ?

श्री सभापति: आप बैठकर बोल सकते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: धन्यवाद, महोदय। महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम दोनों पक्षों के लोगों से यह निवेदन करेंगे कि विपक्ष और सत्ता-पक्ष के बीच में नोक-झोंक न हो और स्थिति की गंभीरता को हम लोग समझें। मैं अहलुवालिया साहब की बातों का समर्थन करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी को इस सदन में मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन शायद बगल के सदन में भी अभी इस पर चर्चा चल रही होगी, इसलिए वे वहां होंगे तो गृह मंत्री जी को यहां जरूर रहना चाहिए था।

सभापति महोदय, सरकार चलाने वाले लोग भी शायद यह जानते हैं और हम विरोधी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि जब मजदूर मशीन पर पसीना बहाता है, तभी कुछ पैदा होता है, उसको उत्पादक श्रम कहते हैं। हम पार्लियामेंट के मैम्बर्स या फुटबॉल के खिलाड़ी जो पसीना बहाते हैं उससे पैदावार कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन जब मजदूर पसीना बहा देता है तो पैदावार बढ़ जाती है। मशीन पर मजदूर और जमीन पर किसान-इन दोनों का पसीना जब गिरता है, तब पैदावार बढ़ती है। सर, यह पसीना तब गिरा करता है, जब मेहनत करने से हमारी रगों का खून सूखता है और चमड़ी के रास्ते पानी निकलता है, तब यह पसीना निकलता है। उस पसीने का अपमान हुआ है और दिल्ली से थोड़ी ही दूर की जगह पर हुआ है। नाक के सामने है। आपने कहा न कि आप लोग बताइए कि यह प्रश्न-प्रहर चलना चाहिए या नहीं। अब हम लोग किस बात का सवाल-जवाब करेंगे? हमारे पास में, नजदीक में दिखाई दे रहा है कि मजदूर मार खा रहा है, उसका खून बह रहा है और यह सबने देखा होगा। आज पार्लियामेंट केवल उस दर्द का अहसास न करे, हम उसकी प्रतिनिधि संस्था बनते हैं, तो हम समझते हैं कि हमको प्रतिनिधि संस्था के रूप में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हम गुड़गांव के मजदूरों के लिए ही नहीं, हिन्दुस्तान भर के मजदूरों के लिए कहना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पहले दिन सदन चला और सदन खुलते ही मजदूरों के खून के छींटें हम लोगों को दूर से दिखाई देने लगे। कल तो हम लोगों ने शोक प्रस्ताव के साथ टाल दिया था, लेकिन यह बहुत ही दुखान्त बात है। सरकार को इस पर गम्भीर होना चाहिए। यह सच है कि कहने के लिए ही नहीं बल्कि सही रूप से हम सरकार के समर्थक हैं, लेकिन हम सरकार के गुलाम नहीं हैं और सरकार के सारे कुकर्मों के समर्थक नहीं हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि इस पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाये ताकि अपने देश के मजदूरों का मनोबल बढ़े। आखिर में मजदूर ही उत्पादन बढ़ाएगा। हम बहस चाहे जितनी करें, मशीन चाहे देश या विदेश से मंगा लें, लेकिन उत्पादन मशीनों से नहीं बढ़ना है, उत्पादन बढ़ेगा तो मजदूरों के पसीने से ही बढ़ेगा। उसको कम्प्यूटर के रास्ते बिल्कुल निकाल दिया जाए और कह दिया जाए कि बहुत कम मजदूर रहें, लेकिन आखिर कम्प्यूटर भी कोई चलाएगा। इसलिए इतने बड़े देश को, इस महाशक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उनको न केवल नजरअंदाज किया गया, सर, बल्कि उनको पीटा गया, उनको घसीटा गया। मैं उन बातों को नहीं दुहराऊंगा जो माननीय सदस्यों ने कहीं। उनको बाथरूम में बंद किया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया, उनके बाल-बच्चों को तंग किया गया, केवल इसलिए कि वे यूनियन या एसोसिएशन का अधिकार चाहते हैं, उसे बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में देशी कंपनियों के मालिक लोग और विदेशी कंपनियों के मालिक लोग भी चाहते हैं कि मजदूर अपनी आवाज जोर से न कह सके। उनको तकलीफ होती है। देशी लोगों को तो हम लोग थोड़े दिनों तक झुका लेते थे। वे तो यहां की ही हवा-पानी में पले थे। वे यहां के लोगों के दुख-दर्द को समझते थे। जब से यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी कंपनियां आने

लगी हैं, तब से उनका तेवर अलग हो गया है, उनका चरित्र ही अलग हो गया है। ऐसा लगता है कि किसी राजशाही के सामने मजदूर बंधुआ मजदूर की तरह से काम करता है, वह अपनी तकलीफ कह नहीं सकता, अपने बाल-बच्चों के दुख दर्द की बात कर नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि यहां जो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी आए, भारत सरकार उससे लिखित में इस बात की गारंटी ले कि हिंदुस्तान के मजदूरों को, जो हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन के कानून हैं, उनके तहत जीने और काम करने का अधिकार होगा। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी और पूंजीशाही उनके इस अधिकार को छीन नहीं सकती।

श्री सभापति: ठीक है, आपका हो गया।

श्री जनेश्वर मिश्र: तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात फिर से दोहरा नहीं रहा हूं। मैं जानता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब इस संबंध में अपना जवाब देंगे, लेकिन वहां की राज्य सरकार अपना क्या जवाब दे रही है? पुलिस की एक गाड़ी, जो पेट्रोल से चला करती है, जो एक मशीन है और एक इंसान के सिर से बहने वाला खून, इन दोनों की कीमत क्या आप बराबर मानेंगे? जो पार्टी वहां राज कर रही है, इतफाक से वह आपकी पार्टी है, इन लोगों की पार्टी भी होती, तो भी मैं इनसे पूछता, कि जीप में बहने वाला डीजल और हमारे सिर से बहने वाला खून, दोनों की बराबर कीमत होगी? यह बताया गया, वहां के मिनिस्टर ने जवाब दिया। मुझे हंसी आई कि वे क्या जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि वहां की राज्य सरकार इस स्थिति का सामना करने में बिल्कुल फेल कर गई है। मैं चाहता था प्रधान मंत्री जी से, कांग्रेस अध्यक्ष को तो मैं इस सदन में बुला नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता था कि आप उस राज्य सरकार को तत्काल बरखास्त करें। इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का खून बहने के बाद हिंदुस्तान के मजदूरों के सामने और दुनिया के मजदूरों के सामने एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे, और सोनिया गांधी के नेतृत्व में अगर किसी राज्य में मजदूर का खून बहा, तो वहां की राज्य सरकार बरखास्त कर दी जाती है। इससे आप और आपकी पार्टी और मजबूत होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार का मोह बहुत हुआ करता है। हम लोग भी सरकार में रहे हैं और यह देख चुके हैं सरकार में बैठने का मोह बहुत हुआ करता है। इसलिए शायद आप यह हिम्मत न कर सकें, लेकिन मैं आपसे उस राज्य सरकार को बरखास्त करने के लिए मांग करूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद, मिश्र जी। आपने बहुत कुछ कह दिया।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं अपनी कोई बात दोहरा नहीं रहा हूं। मैं चाहूंगा कि यह प्रस्ताव आप लोगों को सर्वसम्मति से करना चाहिए। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि जिन मजदूरों का जो कुछ भी नुकसान हुआ है, उसके लिए इनके मालिकान को जेल में डालना चाहिए और उनसे यह सारा हर्जाना वसूलना चाहिए अगर पूंजी लगाकर पसीने के ऊपर

जुर्म करने का सिलसिला किसी कंपनी के मालिक को दिया गया, कारखानेदार को दिया गया, तो हिंदुस्तान में पसीना बहाने वालों को तबाही से बचाया नहीं जा सकता। अब जबकि बगल में खून बह रहा हो, तो क्या हम लोग क्वैश्चन-आवर झेल सकते हैं? इसलिए इस क्वैश्चन आवर को न केवल टाला जाए, बल्कि इस क्वैश्चन आवर के बाद दिन भर इस विषय पर बहस हो। मैं मानता हूं कि बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद, महोदय।

श्री अजय सिंह चौटाला (हरियाणा): माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से गुड़गांव में कल की घटना घटी, जिस वहशीपन से, दरिंदगी से बर्बरता-पूर्वक पुलिस ने निहत्थे और निर्दोष मजदूरों को एक स्थान पर घेरकर बुरी तरह से मारने का काम किया, इस तरह की घटना का हमने इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं सुना। कल वहां पर यह जालियांवाला बाग की पुनरावृत्ति देखने को मिली है। जैसा अहलुवालिया जी कर रहे थे, फर्क सिर्फ कुएं का था, अगर वहां पर भी कुआं होता तो मजदूर शायद अपनी जान बचाने के लिए उस स्थान को चुनते। अनेक मजदूर भाग-भाग कर किसी तरीके से अपना बचाव करते हुए सीवर में कूदे और जो वहां पर आस-पास गड्ढे थे, उनमें अपनी जान बचाने का प्रयास किया, परन्तु वहां की पुलिस हर जगह उनको पकड़ कर, घेरघेर कर पिटाई करने का काम कर रही थी। मैं स्वयं घटनास्थल पर भी गया, अस्पताल में भी मैंने जाकर देखा कि दो मजदूर अस्पताल में मरे पड़े थे, जिनकी डैड-बॉडीज़ वहां पर थीं। अस्पताल के प्रशासन से जब मैंने उनके बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि यह तो ऐक्सिडेंट की घटना से यहां आए हैं, जबकि वहां खड़े हुए सारे के सारे मजदूर चिल्ला-चिल्लाकर यह कह रहे थे कि ये हमारे साथी हैं, अभी हम इनको लेकर आए हैं, उसी स्थान से लेकर आए हैं। अब तक उनका कहीं कोई उल्लेख किसी भी तरह से न तो वहां की सरकार ने किया है और न ही प्रशासन ने किया है। इस तरह से अनके लोग घेर-घेर कर वहां से और दूसरे स्थानों से भी भेड़-बकरियों की तरह भर-भर कर गाड़ियों में ले जाए गए हैं। पुलिस स्टेशन में सैकड़ों लोगों को - सिटी के पुलिस स्टेशन में, सदर के पुलिस स्टेशन में - छोटी-छोटी जगह पर घेरकर रखा हुआ था, जिनको न किसी से मिलने दिया जा रहा था, न वहां पर उनके लिए कोई दवा-दारू की व्यवस्था थी और न ही वहां किसी का कुछ पता चल रहा था और पूछने पर पुलिस यही कह रही थी कि यहां कोई नहीं है, यहां से सब लोगों को हास्पिटल भेज दिया गया है, जबकि अब भी सुबह कम से कमे 20, 30, 50 लोगों को हॉस्पिटल्स में उन्हीं पुलिस स्टेशन्स से लाया गया और उनको एडमिट कराया गया, जो सारी रात दर्द के मारे कराहते रहे, उनके लिए किसी तरह की कोई दवा-दारू की व्यवस्था भी वहां के प्रशासन ने नहीं की। मुख्य मंत्री वहां पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने घोषणा की कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा, ज्यूडिशियल जांच करवाऊंगा, मजिस्ट्रेट से जांच करवाऊंगा। वहां के उपायुक्त, वहां के पुलिस कप्तान स्वयं डंडा लेकर मजदूरों को मारने का काम कर रहे थे, अनेक अखबारों में आज उनकी फोटो छपी है, उनके निर्देश से सारी घटना वहां पर घटित हो रही थी, क्या उसकी जांच कोई मजिस्ट्रेट करेगा? कैसे कोई मजिस्ट्रेट अपने

अफसर के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का साहस करेगा? ऐसे में जैसाकि श्री जनेश्वर मिश्र जी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि वहां की राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करे और इसकी निष्पक्ष जांच किसी न्यायिक एजेंसी से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और सबसे पहले उन मजदूरों को, जो अब भी दवा-दारू के अभाव में इधर-उधर पड़े हुए हैं, जिनका कोई वाली-वारिस वहां पर नहीं है, क्योंकि कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई केरल का है, वे दूसरे राज्यों से वहां पर आए हुए हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही बात सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री शरद यादव (बिहार): सभापति जी, श्री अहलुवालिया जी ने, जनेश्वर जी ने और बाकी सब लोगों ने जो विस्तार से बात रखी है, उस बारे में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी रात, जब से यह घटना हुई है और पूरे देश ने तथा बच्चे-बच्चे ने, मैं आपसे कह नहीं सकता कि जिन लोगों ने इस दृश्य को, आजकल सारा मामला चित्रमय हो गया है, देखा, उन्हें लगता नहीं कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र के किन्हीं मूल्यों को, आदर्शों को हमने इतने वर्षों बाद वहां ले जाकर खड़ा किया है। पिछले 10 वर्ष से इस देश में पूंजी का और बाजार का बोलबाला है तथा हमने पूंजीपतियों को और कारखानेदारों को, लुटेरों को बहुत ग्लोरिफाई कर दिया है, उनका बहुत यशगान कर दिया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में निवेदन करूंगा कि आज इस देश के दो-तीन फीसदी लोग, इस देश के मजदूर आन्दोलन के पूरे 150-200 वर्ष के इतिहास को पोंछकर नया कानून लाना चाहते हैं, वह नया कानून तो नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत ग्लोरिफाई कर दिया। मैं लेबर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है कि किस तरह से हमारे देश के पूंजीपतियों का, हमारे दौर की सरकारों पर असर हो गया है। ये इस देश से पूंजी बनाते हैं और यद्यपि आज पूरे देश में कानून नहीं बदला है, लेकिन पूंजीपतियों को और कॉरपोरेट हाउसिस को हमने इतना ग्लोरिफाई कर दिया है कि लाखों लोगों के वोटों से जो चुनकर आते हैं, उनकी भी हालत यह है और पैसे का ऐसा खेल लोकतंत्र में हो गया है कि पूंजीपतियों के आसपास सारी पार्टियां, लगता है कि गिरवी रखी गई हैं। आज ऐसी हालत है कि ज्वार को, भुट्टों को बोरी में डालकर जिस प्रकार से दाना निकाला जाता है, उसी तरह सारे मजूदरों को इकट्ठा करके, आस-पास घेर कर लाठी से पीटा जा रहा है, ऐसे पीटा जा रहा है कि जैसे भुट्टों की बालियों को दाने निकालने के लिए मारा जा रहा हो। वहां कौन-सी चीज़ की जांच कराना चाहते हैं? कौन-सा न्यायिक मैजिस्ट्रेट बैठेगा? आज जो चलचित्र का ज़माना है, चित्रों में सब कुछ आ रहा है, सब दिख रहा है कि कौन-से पुलिस वाले हैं जो लोगों को ठोक रहे हैं, दिख रहा है कि कौन उनको मार रहा है। जो दिखने वाले लोग हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आज किसी प्राइवेट चैनल पर जब किसी आदमी को भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त देखा जाता है तो आप उन्हें बरखास्त कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन यहां मुख्य मंत्री जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच करवाएंगे।

मैं मानता हूं कि मैंने मज़दूरों की तरफ से बहुत आन्दोलन किए हैं। सभापति महोदय, हमने पांच वर्ष हिन्दुस्तान की आजाद जेल में काटे हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि जितने भी लोग उस आन्दोलन में थे, एक आदमी ने भी किसी की पीठ पर, किसी की हड्डियों पर लाठी बरसाई हो। ऐसी चीजें, ऐसा चित्र, ऐसा मामला कि अकेले सदन ही नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरा नौ वर्ष का बच्चा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रात को चार बार उठ करके जिस हालत में उसने मुझसे सवाल किए, सभापति जी, मैं जब से सदन में आया हूं तब से मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन आवर सस्पेंड करने का मामला नहीं है। श्री जनेश्वर मिश्र जी ने ठीक कहा कि निश्चित तौर पर इस पर फिर से लम्बी-चौड़ी बहस की जरूरत है। लोगों को पूंजी की जरूरत है, पूंजी को फैलाने की जरूरत है लेकिन इन्सानों को तोड़ करके, उनको भक्ष करके, उनकी सारी मानवीय चेतनाओं को कुचल करके इस पूंजी के साम्राज्य को फैलाना है? हम देखते हैं, पूरी दुनिया में हम जाते हैं, अमरीका में हम जाते हैं तो देखते हैं कि तोप क्या खिल रही है। क्या यह दिखा रहे हैं कि वहां झंडे टंगे हैं? यह महात्मा गांधी का देश है। हमारे प्रधान मंत्री वहां जाते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी राज है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने उनकी आलोचना की तो सही बात की। यह पूरा देश अंग्रेजों का हो गया है। तीन-चार फीसदी लोग ही यहां अंग्रेजी जानते हैं। यह आपका सदन, इसमें सबसे ज्यादा अंग्रेज़ी चलती है। इस देश में 90% से 95% लोग इस भाषा को नहीं जानते हैं, इस बोली को नहीं जानते हैं। तीन-चार फीसदी लोगों का इस देश के पूर राज पर, पूरे देश की सत्ता पर कब्ज़ा हो गया है और इस कब्ज़े के गुरूर में जो गुड़गांव में हुआ है, उसी गुरूर में हुआ। वहां का मैनेजमेन्ट जब बयान देता है तो वह बयान देता है कि हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे, उनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है। यह सरकार बंधक है, कोई और सरकार नहीं, यहां की सरकार, हमने सोच लिया है कि हिन्दुस्तान के 95 फीसदी लोगों को छोड़कर इस देश की सरकार बनाएंगे और कहते हैं कि हम देश को बलशाली बना रहे हैं। हम यह कहां पहुंच रहे हैं? अमरीका में मेरे बहुत मित्र पढ़ते हैं। मैं पूछता हूं और मैं जानता हूं कि वहां आपका कितना सम्मान है। आप उनके स्वागत पर ढोल बजवाते है। आप सोचते हैं कि अमरीका में आपको तग़मा मिलना है। आप ब्रिटेन जाते हैं कि आपको तग़मा लेकर आना है। इस हालत में आप लोग पहुंच गए हैं और इस देश के केवल तीन-चार फीसदी लोग ही इस देश को चला रहे हैं।

सभापति महोदय, इस देश में बग़ावत होगी। यह यहां रुकने वाले नहीं है। बग़ावत होगी। ...(**व्यवधान**)... भले ही आप मेरी बात पर टोक-टाक कर लें, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: इन्हें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।

श्री शरद यादव: जी हां, गुड़गांव के साथ इन सब चीज़ों का वास्ता है ...(व्यवधान)... । आपके इस तरह से ढीठ बनकर मुझे छेड़ने से काम नहीं चलेगा ...(व्यवधान)... । मैं कहना चाहता हूं कि उसी मानसिकता से लाठी चली है। आप यूरोप और अमरीका की सभ्यता के बंधक हो गए हैं, उस सभ्यता के चलते आप उनके कानून, उनकी संस्कृति, उनकी तहज़ीब यहां अपना रहे हैं और उन लोगों को यहां भगवान बना करके पूज रहे हैं। उसी मानसिकता के चलते वहां यह लाठी चली है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि सदन के सारे काम को छोड़कर इस पर पूरी बहस हो और सार्थक बहस हो। मेरी आपसे विनती है, मैं जो कह रहा हूं वह मन से और तर्क से नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी सरकार-को नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपनी सरकार के जमाने में जानता हूं कि जो कानून में, जो मजदूरों के कानून में बदलाव लाने के लिए कितना बेचैन थी और मैंने देखा कि उस कानून को बगैर बदले वे मज़दूर सब जगह निकाले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ऐसी हालत है इसमें, जनेश्वर जी ने कहा है तथा उनकी वाजिब बात है कि इस सदन में पूरी बहस हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री शरद यादव: वहां के जो मुख्य मंत्री बयान दे रहे हैं वह बहुत ही इनह्यूमन बयान है। आपके सामने सब लोगों का चित्र है, उनको पहले आप बर्खास्त करिए ताकि इसके बाद इस सदन को चलने का काम हो सके। आप भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालिए। ...(व्यवधान)... इसलिए, सभापति जी, मेरी विनती है कि आप इस देश की जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं, आप पर मेरा विश्वास है कि आप इस बहस को यहां जल्दी में मत खत्म कराइए, इस बहस को पूरा कराइए और क्यों ऐसे हालात बने हैं इस पर मैं आपसे कहूं कि मैं बहुत विस्तार से कहना चाहता था। मेरी विनती है कि फिर से इस बहस को चलाने का काम करिए और वहां की सरकार के लिए एक नया इतिहास बनाइए। वहां की सरकार इन सब चीजों के होते हुए लोकतंत्र से बनी है। इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I will not take much time.

मुझे लगता है कि यहां इस सदन में ऐसा कोई नहीं है, जो कल की घटना घटी है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करें। सारे लोग इस घटना की जितना हो सकता है निन्दा करते हैं और जो मुद्दा यहां उठाया गया है, वह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमें लगता है कि यह मुद्दा कोई अनप्रिसीडेंट नहीं है। छोटी-मोटी घटना तो घटती जा रही है, हमारे देश में विशेष करके पिछले 6-7 साल में जहां जहां मजदूर हैं वहां इस तरह की घटना घटती जा रही है। पिछले वर्ष यह सरकार थी। वह सरकार भी इसके बारे में कोई खास कदम नहीं उठा पाई। हम जानते हैं, सर शरद जी ने सही कहा है, शरद जी

को हटाया गया है, जब वे लेबर मिनिस्ट्री के नाते डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। इनको तो बधाई देनी चाहिए कि ये कोशिश कर रहे थे लेबर को डिफेंड करने के लिए, इनको लेबर डिपार्टमेंट से हटाया गया और अब जो स्थिति है इस स्थिति में it is a clear-cut feud between capital and labour. We shall have to decide whether we should take the side of capital, which doesns' have a human face, or, we should take the side of labour. If we take the side of labour, we shall have to decide how to behave with them. Sir, I would join my hon. collegues , particularly my friend, Shri Vijayaraghavan and other friends, who have expressed their anguish at this very peculiar situation. Yesterday, it was not only a brutal thrashing by the police but it was also a mayhem created by the police. Sir, it is not a matter confined merely to Honda, यह सिर्फ गुड़गांव की स्थिति नहीं है, सारे देश में जहां-जहां इण्डस्ट्रीज बनती जा रही हैं वहां इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। Wage labourers have been converted into slaves. The very genesis of neo-liberalism entails that the labourers will not have a right to live with dignity. What happened yesterday expressed the mind-set of 'hire and fire' and their belief that workers should be treated as slaves. Yesterday's incident has absolutely jeopardised the whole institution. Otherwise, we would not have even discussed all these things. In a way, the incident that took place yesterday in Gurgaon was a pointer towards such happening everywhere. Incidents of smaller nature go on everywhere; they go on in Mumbai; they go on in Kerala and other States as well. But this incident has erupted into a situation where we have been compelled to have this discussion. I once again repeat; none of the hon. Members would defend such brutality; none of them would defend the mayhem that was perpetrated by the police at the behest of the employers, that too, a multinational corporation. We shall have to be mindful of it. We are trying to win the confidence of multinational corporations; we are trying to open the floodgate of investments; we are trying to take pride in saying that so much FDI has come. We are comparing ourselves with China and other countries. But we are not mindful of the people of our own country. I urge upon the Leader of the House, the hon. Prime Minister, to come and make a statement. The statement should not be delayed at all...

MR. CHAIRMAN: You conclude now.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: The Prime Minister must make a statement, and we should have a full-fledged discussion on this situation.

The very root-cause of this situation has to be identified; we shall have to check the situation right at the root level. Otherwise, our identity is at stake. It is not only a stigma on the democracy, but it is also a stigma on the identity of the nation.

To end, Sir, I support the issues that have been raised by the hon. colleagues.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, what happened yesterday in Gurgaon is an unpardonable crime against workers by a handful of policemen. Naturally, they had been guided by their officers. Sir, there had been a long history in this country of workers' struggle for their rights. Even the Supreme Court has upheld their rights on many occasions. I will not go into those details. Now, the gravity of the situation has already been expressed. The anguish expressed by the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, shows how much this nation is concerned about labour and such police atrocities against labour. (*Interruptions*) Sir, they want to politicise it. I am not politicising the issue. I am a trade union leader, Sir.

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): It has been politicised.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I am not raising the issue of brutality against farmers in Rajasthan. I am not raising that issue. I am confining myself only to this issue. I was Home Minister and it was to my credit that I ordered to arrest the manager of BPL when their people had attacked the workers. That goes to my credit. So, don't take ... (*Interruptions*)

Here, the question is this. What is the genesis of the whole crisis? Is it for wage increase? No. Is it any other demand by them? No. It is a protest against retrenchment of workers by a multinational company, and because they had formed a union or an assoication. Sir, this is a very serious matter. This should open our eyes. This is an era in which every business house is thinking in terms of its profits - Q1, Q2, Q3 and Q4. They think that the whole industry is based on profit and their share value. I am not concerned about it. Of course, I am concerned about something else. I am concerned about how, when the share value increases, the workers interests also protected. Workers interests have to be protected. Traditionally, since Independence, all our legislations have been in favour of workers. That has been the history. Whether you like it or not, the

Congress Governments have done many things. But I will not repeat all that.

Here, the point is this. Today, the demand by FICCI and CII is that labour laws should be changed. And what should be the change? There should be a policy of 'hire and fire'! Sir, even in America and the Western countries, workers' interests are protected. I can argue on that. You cannot throw them out there; it is very difficult. Here, the multinationals, or, even the Indian industrialists, should not have the freedom to retrench the workers without any rhyme or reason. They should abide by the law.

Lastly, who has violated the law? Is it the workers or the management? The management has violated the law. They had retrenched the workers without any reason. The workers had been agitating for the last many weeks. The department had intervened. They are trying to reach a compromise. But the workers had lost their patience. Sir, the report is that a worker has died. It has never happened that a worker dies of lathi charge. My demand is this. Firstly, action should be taken against the officers who are found to be responsible for this. They should be immediately suspended. Secondly, nobody likes an inquiry by a District Magistrate. It is better to have a judicial inquiry; then, naturally, everything will come out. Sir, I know it is a State subject but the Government of India has also to give some guidance on how to deal with such a situation, not only to the State Government of Haryana but to every State Government. Of course, the present situation is different. But every State Government must understand that workers cannot be treated as a cheap commodity available in our country. Unfortunately, some people have a feeling that our labour market is full of unemployed youth. But there should not be any room for exploitation of these unemployed youth. The present laws are adequate to protect the rights of the workers. People like me use those laws in tribunals and courts. We know what they are. My demand is that every industrialist, everybody, should abide by the law. I am prepared to abide by the law as a trade union leader. But the law should be applicable to everybody.

I hope the State Government of Haryana will come forward and take necessary action, as well as, hold a credible inquiry into this matter. With these words, I conclude.